संख्या:21/2021/I/64191/2021/46-1002(002)/1/2021

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल, 2021

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-23 (गन्ना) के अन्तर्गत वचनबद्ध व्ययों एवं अन्य कार्यालय मदों हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-16/लेखा-बजट/2021-22, दिनांक 07 अप्रैल, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-23 (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान, क्षेत्रीय कार्यालय एवं गन्ने की खेती का विकास तथा उसका प्रगाढ़ीकरण से संबंधित वचनबद्ध व्ययों एवं अन्य कार्यालयों व्ययों को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रू.25286.80 लाख मतदेय तथा रू.2.00 लाख भारित अर्थात कुल धनराशि रू.25288.80 लाख के सापेक्ष शतप्रतिशत धनराशि **रू.25288.80 लाख (रूपये दो अरब बावन करोड़ अठ्ठासी लाख अस्सी हजार मात्र)** इस शासनादेश के संलग्नक में यथा उल्लिखित विभिन्न मानक मदों के लिए अंकित धनराशि के विवरण के अनुसार, व्यय किये जाने की अनुमति सहित, निम्नलिखित शर्तों के साथ आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। यथा समय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा तथा आहरण की गयी धनराशि पी.एल.ए./बैक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5) व्यय प्रन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

3. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-23 (राजस्व मद) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2401-फसल कृषि कर्म" के अन्तर्गत, **संलग्नक में अंकित**, संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या: एवं तद्-दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. लखनऊ ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
8. चीनी उद्योग अनुभाग-2
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

बच्चू लाल

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:21/2021/I/64191/2021/46-1002(002)/1/2021 दिनांक 22 अप्रैल, 2021 का संलग्नक

क्रमांक	लेखा शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रूपये में)
अ-	**2401-फसल कृषि कर्म,** **001-निदेशन तथा प्रशासन** **03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान**		
1	01-वेतन	950.00	950.00
2	02-मजदूरी	1.20	1.20
3	03-महँगाई भत्ता	285.00	285.00
4	04-यात्रा व्यय	3.15	3.15
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.50
6	06-अन्य भत्ते	2.50	2.50
7	07-मानदेय	0.35	0.35
8	08-कार्यालय व्यय	20.00	20.00
9	09-विद्युत देय	47.00	47.00
10	10-जलकर/जलप्रभार	0.20	0.20
11	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	6.00	6.00
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	3.00
13	13-टेलीफोन पर व्यय	10.00	10.00
14	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18.50	18.50
15	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	12.00	12.00
16	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	5.00	5.00
17	29-अनुरक्षण	4.00	4.00
18	**42-अन्य व्यय(भारित)**	**2.00**	**2.00**
19	42-अन्य व्यय(मतदेय)	2.50	2.50
20	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.50	1.50
21	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
22	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	10.00	10.00
23	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	10.00	10.00
24	49-चिकित्सा व्यय	16.00	16.00
25	51-वर्दी व्यय	0.25	0.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	55-मकान किराया भत्ता	67.00	67.00
27	58-आउटसोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	10.00
	योगः 001/03 (मतदेय + भारित)	**1489.65**	**1489.65**
ब-	2401-**फसल कृषि कर्म** 001-**निदेशन तथा प्रशासन** 04-**क्षेत्रीय कार्यालय**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रूपये में)**
1	01-वेतन	600.00	600.00
2	03-महँगाई भत्ता	180.85	180.85
3	04-यात्रा व्यय	4.50	4.50
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
5	06-अन्य भत्ते	1.00	1.00
6	07-मानदेय	0.20	0.20
7	08-कार्यालय व्यय	2.00	2.00
8	09-विद्युत देय	9.50	9.50
9	10-जलकर/जलप्रभार	0.20	0.20
10	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.75	2.75
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.50	3.50
12	13-टेलीफोन पर व्यय	1.25	1.25
13	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.50	2.50
14	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00	1.00
15	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	10.00	10.00
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.60	0.60
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.60	0.60
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	3.50	3.50
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00	1.00
20	49-चिकित्सा व्यय	3.00	3.00
21	51-वर्दी व्यय	0.13	0.13

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	55-मकान किराया भत्ता	35.00	35.00
	योगः 001/04 मतदेय	**864.23**	**864.23**
स-	**2401-फसल कृषि कर्म 108-वाणिज्यिक फसलें 04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसका प्रगाढीकरण**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्राविधानित धनराशि (लाख रूपये में)**	**वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि (लाख रूपये में)**
1	01-वेतन	17000.00	17000.00
2	03-महँगाई भत्ता	5100.00	5100.00
3	04-यात्रा व्यय	22.24	22.24
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7.26	7.26
5	06-अन्य भत्ते	40.00	40.00
6	07-मानदेय	0.68	0.68
7	08-कार्यालय व्यय	14.15	14.15
8	09-विद्युत देय	21.00	21.00
9	10-जलकर /जलप्रभार	1.00	1.00
10	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	5.30	5.30
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	7.64	7.64
12	13-टेलीफोन पर व्यय	4.75	4.75
13	15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	4.00
14	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	2.35	2.35
15	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	30.00	30.00
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4.00	4.00
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	5.00
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.11	6.11
20	49-चिकित्सा व्यय	46.00	46.00
21	51-वर्दी व्यय	1.44	1.44

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	55-मकान किराया भत्ता	610.00	610.00
	योग- 108/04 मतदेय	**22934.92**	**22934.92**
	महायोगः 2401- (अ+ब+स) (मतदेय + भारित)	**25288.80**	**25288.80**

(रूपये दो अरब बावन करोड़ अठ्ठासी लाख अस्सी हजार मात्र)

बच्चू लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।